

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार न्योल, आर.ए.एस.

दायर दिनांक 12.02.2020

प्रकरण संख्या:-4/20

1. श्री नानुराम पिता बदा आमलिया जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोरादा तहसील
झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज -वादी

- बनाम
- 1 श्री कमला पिता बदा आमलिया जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोरादा तहसील
झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज
 - 2 श्री कानजी पिता बदा आमलिया जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोरादा तहसील
झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज
 - 3 श्री लक्ष्मण पिता बदा आमलिया जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोरादा तहसील
झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज
 - 4 श्रीमती सविता पत्नि बदा आमलिया जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोरादा
तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज
 - 5 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूंगरपुर।
-प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
सपठित धारा 212 जाप्ता दीवानी

उपस्थित-

1. श्री बालगोविन्द पाटीदार वादी की ओर से।
2. श्री विरेन्द्रसिंह चौहान प्रतिवादीगण की ओर से।

::निर्णयः

दिनांक- 08.07.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी गांव गोरादा में खाता संख्या 27 खसरा नम्बर 1495, 1496, 1497, 1527, 1539, 1731/1542, 427, 588, 589, 590, 591, 626, 627, 628, 630, 632, 633, 634, 635, 638, 640, 902, 903 खेत किता 23 का रकबा 4.3111 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण अपने पारिवारिक बंटवारे अनुसार कब्जा अनुसार काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। वादी अपने हिस्से की मौजा गोरादा में स्थित भूमि पर खेतीबाड़ी करने साफ-सफाई का कार्य कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण एकजुट होकर वादग्रस्त आराजी पर आए और जबरन अपनी जमीन बताकर झगड़ा फसाद कर विवाद उत्पन्न करने लगे व वादी को अपने हिस्से में आयी भूमि के उपयोग उपभोग में रूकावट उत्पन्न करने लगे। जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त कृषिभूमि पारिवारिक बंटवारे में अपने हिस्से में आने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण जबरन झगड़ा फसाद कर विवाद उत्पन्न करने लगे। तो प्रतिवादीगण मना कहकर खातों को अलग नहीं करना कहकर वादी से विवाद करने लगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को कॉलम संख्या 2 में अंकित संयुक्त खातों को राजस्व रिकॉर्ड के हिस्से अनुसार वादी के हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हिस्से अनुसार बंटवारा करने की बात की। जिस पर प्रतिवादीगण ने बंटवारा नहीं करने की बात कहकर एतराज करने लगे। ऐसे में जिससे वाद प्रस्तुत करना

2
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आवश्यक हो गया जो म्याद अवधि में वाद प्रस्तुत है। वादी को अपने आराजी में बंटवारा करवाने का पूर्ण अधिकार है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त भूमि अनुसार बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किये जावे।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बंटवारा किया जाने हेतु सहमति व्यक्ति की। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर बंटवारा स्वीकार कर विभाजन प्रस्ताव मँगवाने का निवेदन किया।


न्यायालय द्वारा वाद न्यायसंगत होने से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री के निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार झौथरीपाल से बंटवारा रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झौथरीपाल द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पेश की गई। बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् मनन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम से किसी भी पक्षकार द्वारा असहमतता प्रकट नहीं की। ऐसी परिस्थिति में प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित की जानी उचित समझा जाता है।

::आदेश::

उक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर खातेदार वादी नानुराम पिता बदा जाति मीणा साकिन देह खातेदार का खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.0647 हैक्ट., खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.0436 हैक्ट., खसरा नम्बर 1497 रकबा 0.0695 हैक्ट., खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.0048 हैक्ट., खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.0550 हैक्ट., खसरा नम्बर 1731/1542 रकबा 0.3236 हैक्ट., खसरा नम्बर 427 रकबा 0.0323 हैक्ट., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.0016 है, 0.0080 हैक्ट., खसरा नम्बर 589 रकबा 0.0145 हैक्ट., खसरा नम्बर 590 रकबा 0.0113 हैक्ट., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.0113 हैक्ट., खसरा नम्बर 626 रकबा 0.0064 हैक्ट., खसरा नम्बर 627 रकबा 0.0113 हैक्ट., खसरा नम्बर 628 रकबा 0.0194 हैक्ट., खसरा नम्बर 630 रकबा 0.0258 हैक्ट., खसरा नम्बर 632 रकबा 0.0016 हैक्ट., खसरा नम्बर 633 रकबा 0.0242 हैक्ट., 0.0032 हैक्ट., खसरा नम्बर 634 रकबा 0.0097 हैक्ट., खसरा नम्बर 635 रकबा 0.0242 हैक्ट., खसरा नम्बर 638 रकबा 0.0307 हैक्ट., खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0016 हैक्ट., 0.0291 हैक्ट., खसरा नम्बर 902 रकबा 0.0258 हैक्ट., खसरा नम्बर 903 रकबा 0.0080 हैक्ट. कुल रकबा 0.8612 हैक्टेयर, इसी तरह से खातेदार कमला पिता बदा हिस्सा 1/4, कानजी पिता बदा हिस्सा 1/4, लक्ष्मण पिता बदा हिस्सा 1/4, सविता पिता बदा हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा देह को खसरा नम्बर 1495/1 रकबा 0.2589 हैक्ट., खसरा नम्बर 1496/1 रकबा 0.1748 हैक्ट., खसरा नम्बर 1497/1 रकबा 0.2783 हैक्ट., खसरा नम्बर 1527/1 रकबा 0.0194 हैक्ट., खसरा नम्बर 1539/1 रकबा 0.2200 हैक्ट., खसरा नम्बर 1731/1542/1 रकबा 1.2944 हैक्ट., खसरा नम्बर 427/1 रकबा 0.1295 हैक्ट., खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0065 हैक्ट., 0.0324 हैक्ट., खसरा नम्बर 589/1 रकबा 0.0583 हैक्ट., खसरा नम्बर 590/1 रकबा 0.0453 हैक्ट., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.0453 हैक्ट., खसरा नम्बर 626/1 का रकबा 0.0259 हैक्ट., खसरा नम्बर 627/1 रकबा 0.0453 हैक्ट., खसरा नम्बर 628/1 रकबा 0.0776 हैक्ट., खसरा नम्बर 630/1 रकबा 0.1036 हैक्ट., खसरा नम्बर 632/1 रकबा 0.0064 हैक्ट., खसरा नम्बर 633/1 रकबा 0.0971 हैक्ट., 0.0130 हैक्ट., खसरा नम्बर 634/1 रकबा 0.0388 हैक्ट., खसरा नम्बर 635/1 रकबा 0.0971

2
उपखण्ड अधिकारी
सीमलकड़ा

हैक्ट., खसरा नम्बर 638/1 रकबा 0.1230 हैक्ट., खसरा नम्बर 640/1 रकबा 0.0065 हैक्ट., 0.1165 हैक्ट., खसरा नम्बर 902/1 रकबा 0.1036 हैक्ट., खसरा नम्बर 903/1 रकबा 0.0324 हैक्ट. कुल रकबा 3.4499 हैक्टेयर भूमि का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस निर्णय अनुरूप रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तहसीलदार झॉंथरीपाल को निर्णय अनुसार पालना हेतु लिखा जावे। बाद बटवाडा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के कोई भी पक्ष किसी दूसरे पक्ष की भूमि के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होवे।


(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सीमलवाडा
सीमलवाडा

डिक्री व मुकदमे की इत्तदाई

(ओ. 2 रु. 6-7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

इजलास उपखण्ड अधिकारी श्री राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-04/2020

श्री नानुराम बनाम श्री कमला वगैरह

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 188 व 209 रा.काशत.अधि. सपठित धारा 212 रा.का.अधि.

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रुबरु:-श्री राकेश कुमार न्योल

व हाजरी:-

श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिव मुदई उपस्थित व श्री विरेन्द्र सिंह चौहान मिनजानिव मुदायलाह उपस्थित होकर हुकम दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि-

वादी का वाद डिक्री किया जाकर खातेदार वादी नानुराम पिता बदा जाति मीणा साकिन देह खातेदार का खसरा नम्बर 1495 रकबा 0.0647 हैक्ट., खसरा नम्बर 1496 रकबा 0.0436 हैक्ट., खसरा नम्बर 1497 रकबा 0.0695 हैक्ट., खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.0048 हैक्ट., खसरा नम्बर 1539 रकबा 0.0550 हैक्ट., खसरा नम्बर 1731/1542 रकबा 0.3236 हैक्ट., खसरा नम्बर 427 रकबा 0.0323 हैक्ट., खसरा नम्बर 588 रकबा 0.0016 है, 0.0080 हैक्ट., खसरा नम्बर 589 रकबा 0.0145 हैक्ट., खसरा नम्बर 590 रकबा 0.0113 हैक्ट., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.0113 हैक्ट., खसरा नम्बर 626 रकबा 0.0064 हैक्ट., खसरा नम्बर 627 रकबा 0.0113 हैक्ट., खसरा नम्बर 628 रकबा 0.0194 हैक्ट., खसरा नम्बर 630 रकबा 0.0258 हैक्ट., खसरा नम्बर 632 रकबा 0.0016 हैक्ट., खसरा नम्बर 633 रकबा 0.0242 हैक्ट., 0.0032 हैक्ट., खसरा नम्बर 634 रकबा 0.0097 हैक्ट., खसरा नम्बर 635 रकबा 0.0242 हैक्ट., खसरा नम्बर 638 रकबा 0.0307 हैक्ट., खसरा नम्बर 640 रकबा 0.0016 हैक्ट., 0.0291 हैक्ट., खसरा नम्बर 902 रकबा 0.0258 हैक्ट., खसरा नम्बर 903 रकबा 0.0080 हैक्ट. कुल रकबा 0.8612 हैक्टेयर इसी तरह खातेदार कमला पिता बदा हिस्सा 1/4, कानजी पिता बदा हिस्सा 1/4, लक्ष्मण पिता बदा हिस्सा 1/4, सविता पिता बदा हिस्सा 1/4 का खसरा नम्बर 1495/1 रकबा 0.2589 हैक्ट., खसरा नम्बर 1496/1 रकबा 0.1748 हैक्ट., खसरा नम्बर 1497/1 रकबा 0.2783 हैक्ट., खसरा नम्बर 1527/1 रकबा 0.0194 हैक्ट., खसरा नम्बर 1539/1 रकबा 0.2200 हैक्ट., खसरा नम्बर 1731/1542/1 रकबा 1.2944 हैक्ट., खसरा नम्बर 427/1 रकबा 0.1295 हैक्ट., खसरा नम्बर 588/1 रकबा 0.0065 हैक्ट., 0.0324 हैक्ट., खसरा नम्बर 589/1 रकबा 0.0583 हैक्ट., खसरा नम्बर 590/1 रकबा 0.0453 हैक्ट., खसरा नम्बर 591 रकबा 0.0453 हैक्ट., खसरा नम्बर 626/1 का रकबा 0.0259 हैक्ट., खसरा नम्बर 627/1 रकबा 0.0453 हैक्ट., खसरा नम्बर 628/1 रकबा 0.0776 हैक्ट., खसरा नम्बर 630/1 रकबा 0.1036 हैक्ट., खसरा नम्बर 632/1 रकबा 0.0064 हैक्ट., खसरा नम्बर 633/1 रकबा 0.0971 हैक्ट., 0.0130 हैक्ट., खसरा नम्बर 634/1 रकबा 0.0388 हैक्ट., खसरा नम्बर 635/1 रकबा 0.0971 हैक्ट., खसरा नम्बर 638/1 रकबा 0.1230 हैक्ट., खसरा नम्बर 640/1 रकबा 0.0065 हैक्ट., 0.1165 हैक्ट., खसरा नम्बर 902/1 रकबा 0.1036 हैक्ट., खसरा नम्बर 903/1 रकबा 0.0324 हैक्ट. कुल रकबा 3.4499 हैक्टेयर होकर खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा इस निर्णय अनुरूप

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है तथा बाद बटवाई राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के पश्चात् कोई भी पक्ष किसी दूसरे पक्ष की भूमि के कब्जे काश्त में रूकावट पैदा नहीं करे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 08.07.2024 को जारी की गई।

दस्तखत
 ओम्हदा
 जयखण्ड अधिकारी
 सीमलवाड़ा

मुद्दे	रुपया/पेसा	मुदायलाह	रुपया/पेसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेंहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेंहनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

जयखण्ड अधिकारी
 सीमलवाड़ा